संचालनालय

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर–4, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष – 0771-2262633, 0771-2262606 ई–मेल - trti.cg@nic.in फैक्स नं. – 0771-2433560

क्र./टी.आर.आई./अनु./2017–18/2700 रायपुर, दिनांक 12-1-18

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी (CHiPS)
रायपुर

विषय :– **अंग्रेजी में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति नामों का हिन्दी में उच्चारणगत विभेद (Phonetic Values) मान्य किए जाने के संबंध में निर्देश पत्र के वेबसाईट में अपलोड किए जाने बाबत्।**

संदर्भ :– छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्र./एफ 13–6/2016/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 30.12.2017

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके तहत अंग्रेजी में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति नामों का हिन्दी में उच्चारणगत विभेद (Phonetic Values) मान्य किए जाने के संबंध में निर्देश पत्र जारी किया गया है।

अतः "चिप्स" की वेबसाईट में उपरोक्त संदर्भित निर्देश पत्र को अपलोड करने का कष्ट करें, ताकि उल्लेखित जातियों के जाति प्रमाण–पत्र जारी करने में आ रही कठिनाईयों का निराकरण हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

12/1/18

उप संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्र./टी.आर.आई./अनु./2017–18/ रायपुर, दिनांक ......

प्रतिलिपि :–

संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

उप संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–6/2016/आ.प्र/1–3 नया रायपुर, दिनांक 30/12/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़।

विषयः– अंग्रेजी में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति नामों का हिन्दी में उच्चारणगत विभेद (Phonetic Values) मान्य किए जाने के संबंध में निर्देश।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3, दिनांक 24.09.2013

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 तथा उक्त अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रकिया को सहज रूप से समझने की सुविधा के उद्देश्य से अनुपूरक व्यवस्था के रूप में निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ यह पाया गया है कि अधिसूचित की गयी कतिपय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के हिन्दी में स्थानीय बोली जनित उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद पाए जाते हैं। अतः मूल रूप से अधिसूचित की गई अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के होने के बावजूद उक्त विभेद के अनुरूप राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां होने के कारण, संबंधित व्यक्ति को उसकी वास्तविक जाति का प्रमाण–पत्र जारी नहीं हो पा रहा है।

3/ उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा नीचे दर्शित तालिका के कॉलम 2 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी भाषा/लिपि में अधिसूचित की गई अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों में स्थानीय बोली के कारण कॉलम 4 में दर्शित उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) को मान्य किया जाता हैः–

(अ) अनुसूचित जनजाति

क्र.	अधिसूचित जाति अंग्रेजी (रोमन लिपि) में	सूची में प्रविष्टि कमांक	उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद
1.	2.	3.	4.
1.	**Bhuinhar**	05	भुइहर, भुईहर,

कमशः 2 ...

2.	Bharia, Bharia	05	भरिया, भारीया,
3.	Bhumia, Bhumiya, Bhumia	05	भुईया, भुईयां, भुय्या, भूईया, भूईयाँ, भूयाँ, भूय्या, भियां
4.	Pando	05	पंडो, पण्डो, पन्डो
5.	Bhunjia	09	भुजिया
6.	Biar, Biyar	10	ब्यार
7.	Dhanwar	14	धनुवार, धनुहार
8.	Gadaba, Gadba	15	गदबा
9.	Gond	16	गोंड़, गोड़
10.	Dhulia	16	दुलिया, ढोलिया, ढोलीया
11.	Dorla	16	दोरला
12.	Kandra	16	कड़रा, कडरा, कड़ेरा
13.	Nagwanshi	16	नगवंसी / नगवन्सी, नगबंसी, नगवासी, नगवंशी, नागबंशी, नगबंशी, नंगवसी, नागबंसी, नगवसी, नागवंसी, नांगवसी, नगबासी, नगबन्सी, नागवन्सी, नागबंसि, नागबसि, नगबसी
14.	Halba	17	हल्बा, हल्वा
15.	Tanwar	20	तंवर, तवर
16.	Khairwar	21	खेरवार, खरवार
17.	Kondh	23	कोंद, कोन्द
18.	Kodaku	27	कोड़ाकू
19.	Majhi	28	माझी
20.	Dhangad	33	धांगड़
21.	Pathari	35	पठारी
22.	Sawara	41	सौरा, सौवरा, सौंरा, संवरा, सहरा, सँवरा, साँवरा

(ब) अनुसूचित जाति

क्र.	अधिसूचित जाति अंग्रेजी (रोमन लिपि) में	सूची में प्रविष्टि कमांक	उच्चारणगत / लेखन / ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद
1.	2.	3.	4.
1.	Audhelia	01	औढ़ेलिया, अढ़ोलिया, अढ़ौलिया, अढ़ोरिया
2.	Dharkar	11	धरिकार
3.	Chadar	13	चंडार, चंड़ार, चडार, चन्डार, चँडार, चण्डार
4.	Ganda	24	गाड़ा, गांडा, गाँड़ा, गाडा
5.	Mahar	33	महरा, माहरा, महारा, माहारा

4/ वर्तमान में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिसूचित की गयी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर यदि उसकी जाति की पुष्टि राजस्व अभिलेखों में जाति के संबंध में अंकित प्रविष्टियों से होती है, तो उसे सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) प्रदान कर दिया जाता है। परन्तु यदि आवेदन का परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदित (अधिसूचित) जाति के अनुरूप उसकी जाति का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है, अपितु राजस्व अभिलेखों में

क्रमशः 3 ...

अंकित उसकी जाति में उपरोक्त तालिका में दर्शित मान्य उच्चारणगत / लेखन / ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद होना पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:-

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-22/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक ,24.9.2013 में विहित निर्देशों एवं निर्धारित प्रकिया अनुसार परीक्षण कर आवेदक की वास्ताविक जाति के संबंध में जांच की जाए।

(ii) जांच में यदि इस बात की पुष्टि होती हो कि आवेदक उसी अधिसूचित जाति का है, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, तो राजस्व अभिलेखों में अंकित उसकी जाति नाम में उच्चारणगत / लेखन / ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद को इस परिपत्र की कंडिका 3 में प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर आवेदक को अधिसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

(iii) इस प्रकार जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में नियत स्थान पर अधिसूचित जाति का नाम केवल अंग्रेजी भाषा (रोमन लिपि) में ही अंकित किया जाए।

5/ यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश केवल ऐसे मामलों में लागू होंगे, जिनमें परीक्षण उपरांत आवेदक वास्तव में अधिसूचित जाति का होना पाया जाए। परन्तु उसके राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त कंडिका 3 की तालिका के कॉलम 4 में उल्लेखित मान्यता प्राप्त उच्चारणगत / लेखन / ध्वन्यात्मक (Phonetic Values) विभेद के अनुरूप शब्द विन्यास अंकित हों।

6/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

30/12/17

(एम.आर.ठाकुर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र.एफ 13-6/2016/आ.प्र/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30/12/2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
6. समस्त विशेष सहायक / निज सचिव, मान. मंत्रीगण / संसदीय सचिवगण मंत्रालय, नया रायपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर ।

क्रमशः 4 ...

8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर ।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, गांधी चौक, रायपुर।
10 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर ।
12 संचालक, जनसंपर्क, रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
14. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर ।
16. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
17. अध्यक्ष, जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
18. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड करने हेतु।

30/12/17

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग